

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला  
चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 09 / 2025

दायर दिनांक : 10 / 02 / 2025

निर्णय दिनांक : 15 / 12 / 2025

**उनवान**

- 1 कमलेश पिता उदयलाल भील निवासी मूरला
- 2 कालुराम पिता गोपीलाल भील निवासी मूरला
- 3 डालचंद पिता गोपीलाल भील निवासी मूरला
- 4 भैरूलाल पिता गोपीलाल भील निवासी मूरला
- 5 भंवरलाल पिता गोपीलाल भील निवासी मूरला
- 6 रामलाल पिता पिता गोपीलाल भील निवासी मूरला
- 7 हीरादेवी पत्नी स्व0 उदयलाल भील निवासी मूरला

**प्रार्थीगण**

**बनाम**


- 1 चुन्नी पिता दोला भील निवासी मूरला
- 2 देउ पिता गोपीलाल भील निवासी मूरला
- 3 दाखी पिता दोला भील निवासी मूरला
- 4 निर्मला पिता उदयलाल भील निवासी मूरला
- 5 पुष्पा पिता उदयलाल भील निवासी मूरला
- 6 रेखा पिता उदयलाल भील निवासी मूरला
- 7 लालू पिता सवा भील निवासी पेमाखेडा तहसील भूपालसागर
- 8 नाना पिता सवा भील निवासी पेमाखेडा तहसील भूपालसागर
- 9 मोहन पिता सवा भील निवासी पेमाखेडा तहसील भूपालसागर
- 10 रामचंद्र पिता वजेराम भील निवासी पेमाखेडा
- 11 अंकल पिता मागीलाल भील निवासी पेमाखेडा
- 12 मोहन पिता वजेराम भील निवासी पेमाखेडा
- 13 प्रभुलाल पिता हरीराम भील निवासी पेमाखेडा
- 14 नारायण पिता हरीराम भील निवासी पेमाखेडा
- 15 रामलाल पिता नाजी रावत निवासी मूरला
- 16 लोगर पिता प्यारा रावत निवासी मूरला
- 17 दोला पिता घासी रावत निवासी मूरला
- 18 प्रवीण पिता पुरुषोत्तम ब्रह्मण निवासी आकोला
- 19 उदयलाल पिता देवकिशन ब्रह्मण निवासी आकोला
- 20 राजेंद्र पिता देवकिशन ब्रह्मण निवासी आकोला

**अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956



**: निर्णय :**

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 13, 14, 19 के नाम हटाए जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किए गया, प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नाम हटाए जाते है। शेष अप्रार्थीगण सं. 1, 2, 3, 4 5 6 7, 8, 9, 10 11 12 15, 16 व 17 18 20 बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से कार्यवाही एकतरफा की गई। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500-रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा  पेमाखेडा पटवार हल्का मूरला के खाता सं. 56 की आ.सं. 19 रकबा 0.65 है0 आ0न0 28 रकबा 0.13 है0 आ0न0 29

रकबा 0.10 है0 आ0न0 42 रकबा 0.25 है0 आ0न0 43 रकबा 0.10 है0 आ0न0 44 रकबा 0.15 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.38 है0 तथा खाता सं. 67 आराजी न0 21 रकबा 0.39 है0 आ0न0 22 रकबा 0.29 है0 आ0न0 23 रकबा 0.15 है0 आ0न0 30 रकबा 0.36 है0 कुल किता 4 रकबा 1.19 है0 भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।



(महेश गगोरिया)  
उपखण्ड कलेक्टर एवं  
सहायक कलेक्टर व  
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर  
भूपालसागर